(91)

संख्याः– / ।।–2012–03(14)/2011

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2013

विषय : **अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व धनावंटन के सम्बन्ध में– राज्य सैक्टर।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2247/मु0अ0वि0/नियोजन/पी–27 (योजना) दि0–10.08.2011, पत्रसंख्या 2692/मु0अ0वि0/नियोजन/पी–27(योजना) दि0–15.09.2011 एवं पत्रसंख्या 1267/मु0अ0वि0/नि0अनु0/पी–27(योजना) दि0–05.07.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0 30 के राज्य सैक्टर में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत **संलग्नक–1** में उल्लिखित 03 योजनाओं, जिनकी टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत ₹ 339.64 लाख है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 180.00 लाख (₹ एक करोड़ अस्सी लाख मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान/परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(vii) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त

क्रमशः.......2

विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(x) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।

(xi) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xii) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xiii) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 631/XXVII(2)/2012 दि0 03 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्याः– 83 (1)/ II–2012–03(14)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल/रूद्रप्रयाग।
7. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. कोषाधिकारी, नैनीताल/रूद्रप्रयाग।
13. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः– 83 / II–2012–03(14)/2011, दि0–07 जनवरी, 2013 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत लागत	वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	जनपद नैनीताल के कालाढूँगी तहसील में निहाल नदी से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम धापला की बाढ़ सुरक्षा योजना।	223.34	89.00
2	जनपद रूदप्रयाग में अगस्तमुनि वि0क्षे0 के नगरासू हरिजन बस्ती (गरगोटी तोक) का गढ़वाड़ी गदेरे से कटाव सुरक्षा योजना।	78.28	52.98
3	जनपद रूद्रप्रयाग में अगस्तमुनि वि0क्षे0 के नगरासू हरिजन बस्ती (गंगोढू तोक) का बाजू गदेरे से कटाव सुरक्षा योजना।	38.02	38.02
	योग–	339.64	180.00

(₹ एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।